

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,
(अभियंत्रण कोषांग)
विकास भवन, नया सचिवालय,
बिहार, पटना।

अति अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रण सूचनासं० e-Tender:- AFRD/अभि० को० (पशु एवं मत्स्य)/F2/...../...../2025

1. विज्ञापन दाता का नाम एवं पता : मुख्य अभियंता, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, अभियंत्रण कोषांग, विकास भवन, नया सचिवालय, बिहार, पटना।
2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि : दिनांक-22.07.2025
3. निविदा कागजात डाउनलोड करने की तिथि : दिनांक-31.07.2025, 10:00AM से 05.08.2025 तक
(on website www.eproc2.bihar.gov.in)
4. प्री बीड मीटिंग की तिथि समय एवं स्थान : दिनांक-01.08.2025 समय:-11:00 AM
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, का मिटिंग हॉल सं०-223, द्वितीय तल नया सचिवालय, बिहार, पटना।
5. संवेदक द्वारा निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि/समय : दिनांक-05.08.2025 को 03:00 PM तक
(on website www.eproc2.bihar.gov.in)
6. निविदा/तकनीकी बीड खोलने की तिथि/समय : दिनांक-05.08.2025 को 04:00 PM के बाद
(on website www.eproc2.bihar.gov.in)
7. निविदा (वित्तीय बीड) खोलने की तिथि/समय : तकनीकी बीड मूल्यांकन के बाद घोषित होगा।
(on website www.eproc2.bihar.gov.in)
8. कार्य का विवरण:-

क्र० सं०	निविदा युप सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रु० लाख में)	अग्रधन राशि (रु० में)	परिमाण विपत्र का मूल्य	Bid Processing Fee (Through online payment) (अप्रत्यर्पणीय) (रु० में)	कार्य समाप्ति की अवधि (इन्क्यूबिडिंग मॉनसून अदधि माह में)	अभियुक्ति
		(पशुपालन निदेशालय अन्तर्गत)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		पशुपालन सूचना एवं प्रसार कार्यालय बिहार, पटना के परिसर में गोदाम (Store room) गोदाम प्रभारी का कार्यालय (Guard room सहित) का निर्माण।	403.76	8,07,600	10,000	As per self generated	6 माह	Two Bid System

नोट:-1. Bidders should submit Bid Processing fee through online payment as per amount generated on website www.eproc2.bihar.gov.in.

9. निविदा की वैधता अवधि (Validity Period): 120 दिन
10. (i) ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु इच्छुक संवेदकों का ई-टेन्डरिंग के Service Provider के पास निबंधन कराना होगा जिससे उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (User ID) एवं पासवर्ड (Passoword) प्राप्त होगा। आवश्यक निबंधन हेतु प्रपत्र वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। निविदाकार User ID एवं पासवर्ड (Passoword), DSC (Digital Signature Certificate) एवं इन्टरनेट के उपयोग से ई-टेन्डर की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। ई-निविदा प्रक्रिया से संबंधित जानकारी Email ID:- eproc2support@bihar.gov.in से सुबह 8:00 बजे से शाम 07:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही, ई-निविदा प्रक्रिया से संबंधित जानकारी eproc2.0 Help Desk address-MJUNCTION Servies Ltd., R.J. Complex, 2nd Floor, Khajpura Ashiana Road, P.S.-Shastri Nagar, Patna-800014 से प्राप्त किया जा सकता है।
- (ii) निविदाकारों को सिर्फ वेबसाइट से ही निविदा कागजात/परिमाण विपत्र प्राप्त (डाउनलोड) एवं वेबसाइट पर जमा (अपलोड) करना होगा। निविदा सम्बन्धित किसी प्रकार का शुद्धि- एवं वित्तीय बीड खोलने इत्यादि की जानकारी विभागीय वेबसाइट अथवा www.eproc2.bihar.gov.in से प्राप्त होगी।

11. निविदा कागजात अपलोड करने से पूर्व संवेदक को "Bid Processing Fee+ Service Tax" निम्न विधि से जमा करने होगा:-
- "Bid Processing Fee" is mandatory to be paid through online mode i.e. Internet payment gateway (Credit/debit Card), Net banking. NEFT/RTGS. Challan to Bid Processing Fee Account of BSEDC. ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगी।
 - "Bids along with necessary online payments must be submitted through e-Procurement portal <https://eproc2.bihar.gov.in>/before the date and time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/Non Submission of Tender/Non Reconciliation of online Payment caused due to Non-availability of Internet Connection, Network Traffic/Holidays or any other reason."
12. कोई भी संवेदक जो बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग में समुचित श्रेणी में निबंधित/अद्यतन नवीकृत हों निविदा में भाग ले सकते हैं।
13. (i) e-proc 2.0 में परिमाण विपत्र की राशि Internet Payment Gateway/Challan के माध्यम से ही लिया जाना है।
- (ii) e-proc 2.0 प्रणाली के तहत online विधि से समर्पित EMD (अग्रधन की राशि) स्वीकार किये जायेंगे। यदि किसी निविदाकार द्वारा EMD के रूप में B.G. जमा किया जाता है, तो संवेदक निविदा कागजात के साथ B.G. को Scan कर अपलोड करेंगे। अग्रधन की राशि B.G. के रूप में दी जाती है तो **पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अन्तर्गत पशुपालन निदेशालय अधीन कार्यों के लिए निदेशक (पशुपालन), बिहार, पटना के पक्ष में B.G.** भारत के किसी Schedule/राष्ट्रीय बैंक से निर्गत होना आवश्यक होगा, जिसका ऑनलाईन सत्यापन की व्यवस्था होगी।
- (iii) सभी मूल कागजात यथा घोषणा का शपथ पत्र मूल में, परिमाण विपत्र के मूल्य के लिए जमा की गई राशि का प्राप्ति रसीद तथा अग्रधन के रूप में जमा किए जाने योग्य Bank Guarantee (B.G.) की मूल प्रति अथवा Online Mode में जमा किए गए राशि का प्राप्ति रसीद (जो भी लागू हो) पथ निर्माण विभाग बिहार, पटना के आदेश सं०-07 दिनांक-10.01.2024 के आलोक में अग्रधन (मूल में) जमा नहीं किया जाना है।
- (iv) संवेदक द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद विभाग द्वारा देय नहीं होगा।
- (v) बीड प्रोसेसिंग शुल्क ऑनलाईन मोड यानि इन्टरनेट भुगतान गेटवे (क्रेडिट/डेबिट कार्ड), नेट बैंकिंग, एन ई एफ टी/आर टी जी एस के माध्यम से भुगतान किया जाना अनिवार्य है। आवश्यक ऑनलाईन भुगतान के साथ बीड, इस निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लेखित तिथि एवं समय से पहले, ई-प्रोक्योरमेण्ट पोर्टल www.eproc2.bihar.gov.in पर अपलोड किया जाना आवश्यक है। इन्टरनेट कनेक्शन, नेटवर्क ट्रैफिक/अवकाश (छुट्टियाँ) या अन्य किसी भी कारण से हुए विलम्ब/निविदा सबमिट (Submit) नहीं होने/ऑनलाईन के रिकनसिलिएशन (Reconciliation) नहीं होने की स्थिति के लिए विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
- (vi) संवेदक स्कैन कर कागजात को अपलोड करने के पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेंगे ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक सं०/पृष्ठसं० के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके। सभी अभिलेख पीडीएफ (Pdf), एमएस ऑफिस (MS Office) कम्पैटीबिलिटी मोड (Compatibillity Mode), जेपीईजी फॉरमेट (JPEG Format) में ही अपलोड (Upload) किये जाए, अन्य फारमेट (Format) में अपलोड डॉक्यूमेंट्स (upload documents) के डाउनलोड/ओपन (Download/open) नहीं होने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- (vii) संवेदक स्कैन कर अपलोड किए गये कागजातों की डाउनलोडेबिलिटी/विजिबिलिटी (Downloadability Visibillity), से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो लेंगे।
- (viii) इन्टरनेट सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि होने के संबंध का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। अतः संवेदकों को चाहिए कि अंतिम समय के पूर्व ही कठिनाइयों से बचने हेतु बीड को अपलोड कर लें।
- (ix) बीड प्राप्त करने की अंतिम निर्धारित तिथि को 12:00 बजे रात्रि से निविदा डालने के निर्धारित समय के पूर्व यदि www.eproc2.bihar.gov.in का लगातार 2 घंटे से अधिक समय के लिए सर्वर डाउन होने

की स्थिति में निविदा डालने की तिथि स्वतः अगले दिन के लिए निर्धारित समय तक विस्तारित हो जाएगी।

14. संवेदकों को कार्य स्थल, प्राक्कलन, क्वैरी एवं सामग्री स्थल इत्यादि की जानकारी, निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता की स्थिति से पूर्णरूपेण संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा में भाग लेने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
15. राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्थान में किसी भी श्रेणी में काली सूची में डाले गये अथवा कार्यों से वंचित (debarred) संवेदक इस निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होंगे। यदि वे जान बूझकर तथा छुपाते हुए निविदा डालते हैं, तो इसकी सारी जिम्मेवारी उनकी होगी तथा उनके निबंधन के विरुद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 एवं अन्य स्थापित प्रावधानों के आलोक में नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।
16. निविदा सूचना की अन्य शर्तों को पूरा करने के बावजूद किसी संवेदक की निविदा मान्य नहीं होगी यदि:—
 - (क) संवेदक के द्वारा किसी निर्धारित प्रपत्र, विवरणी, शपथ पत्र या योग्यता प्रमाण पत्र के रूप में समर्पित किसी कागजात या दस्तावेज में गलत या गुमराह करने वाले तथ्य समर्पित किये गये हैं।
 - (ख) किसी संवेदक का कार्य निष्पादन का Record खराब रहा हो, यथा उन्होंने आवंटित कार्य को अधूरा छोड़ दिया हो, निविदा की शर्तों के अनुसार सम्यक रूप से पूरा नहीं किया हो, पूर्व से आवंटित किसी कार्य को पूरा करने में अत्यधिक विलम्ब किया हो, विवाद (Litigation) का इतिहास हो, वित्तीय अक्षमता (Financial Insolvency) सिद्ध हुई हो या उनके पास पूर्व से आवंटित कार्य निर्धारित समय सीमा के बाद भी पूरा करने हेतु लंबित हो। तथ्यों को छुपाने की जबाबदेही उनकी होगी क्योंकि उनके द्वारा समर्पित कागजात पर ही कार्यालय द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
 - (ग) पार्टनरशिप डीड में अंकित कोई पार्टनर कम्पनी के प्रबंध निदेशक, सहयोग समिति एवं निबंधित संस्थाओं के पदधारक या इन पदों पर कार्य करने वाले पूर्व में Black Listed है तो वह फर्म/कम्पनी/सहयोग समिति/निबंधित संस्था निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

17. परिमाण विपत्र का मूल्य

उपर्युक्त निविदा परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) ऑनलाईन मोड में जमा करना ही मान्य होगा (on website www.eproc2.bihar.gov.in पर।

18. निविदा प्रस्ताव के साथ जमा (अपलोड) किये जाने वाले कागजात:—

निविदा दर प्रस्ताव के साथ तकनीकी बीड में एक पृथक पृष्ठ (चेकलिस्ट) पर निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों/वांछित सूचनाओं पृष्ठ सं० के साथ अंकित करते हुए अपलोड (UPLOAD) किया जाना है। अपलोडेड कागजात स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए, जिसे स्वसत्यापित माना जायेगा।

18.1 अग्रधन (EMD)

- (क) अग्रधन की राशि ऑनलाईन मोड में www.eproc2.bihar.gov.in के प्रावधान के अन्तर्गत जमा करना होगा।
- (ख) परिमाण विपत्र की राशि घट-बढ़ सकती है। तदनुसार अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार परिमाण विपत्र के 2 (दो) प्रतिशत की दर से अग्रधन की राशि देय होगी जो न्यूनतम 100 के गुणक में होगी।
- (ग) संवेदक द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद विभाग द्वारा देय नहीं होगा। **eproc2** के वेबसाइट पर निविदा संबंधित **Special Conditions** और निविदा देने हेतु तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड के प्रपत्र उपलब्ध है। ई-निविदा प्रपत्र में दर्शाये गये स्वरूप में ही अग्रधन की राशि स्वीकार होगी। पथ निर्माण विभाग बिहार, पटना के आदेश सं०-07 दिनांक-10.01.2024 के आलोक में अग्रधन (मूल में) जमा नहीं किया जाना है।

18.2 वैध निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति।

18.3 साझेदार फार्म/कम्पनी के मामले में डीड एव अर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की प्रति।

18.4 पैन कार्ड की प्रति।

18.5 G.S.T. निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति।

18.6 समय सीमा के अन्दर पूर्ण कराये गये कार्यों का कार्यपालक अभियंता अथवा मान्यता प्राप्त सक्षम प्राधिकार के स्तर निर्गत प्रमाण-पत्र की छाया प्रति। साथ ही, संवेदक के पास अन्य कार्य विभागों

द्वारा आवंटित कार्यों का **Existing Commitment** की स्वयं द्वारा सत्यापित सूची एवं विवरणी की प्रति।

- 18.7 अभियंत्रण संगठन का पूर्ण ब्योरा जिसमें योग्यता प्राप्त अभियंताओं का संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव व पर्याप्त सं० में तकनीकी सुपरवाइजरी स्टाफ की पूर्ण विवरणी के साथ संवेदक (नियोजन कर्ता) तथा नियोजित अभियंता का प्रति शपथ-पत्र एवं नियोजित अभियंता के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र की छाया प्रति।
- 18.8 कार्य में प्रयुक्त होने वाले यंत्र-संयंत्र एवं गुणवत्ता उपकरणों का स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा संवेदक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति/फर्म से यंत्र-संयंत्र एवं गुणवत्ता उपकरणों के उपलब्ध कराने का शपथ-पत्र एवं जिस व्यक्ति/फर्म जिससे यंत्र-संयंत्र एवं गुणवत्ता उपकरण प्राप्त किया जा रहा हो का प्रति-शपथ-पत्र तथा उसके अधीन यंत्र-संयंत्र एवं गुणवत्ता उपकरणों का स्वामित्व प्रमाण-पत्र की छाया प्रति।
- 18.9 संवेदक के पास (i) **कंक्रीट मिक्सर मशीन** (ii) **नोजेल/सर्फेस वाइब्रेटर** (iii) **सटरिंग प्लेट एवं स्टेजिंग सामग्री** (iv) **वाटर टैंकर का होना आवश्यक है**, जो स्वयं का होना चाहिए अथवा किराये पर लेने की स्थिति में संवेदक एवं स्वामी दोनों को लेने देने का मूल शपथ पत्र (अपलोडेड) एवं प्रमाण के रूप में उपकरण का स्वामित्व का कागजात एवं यंत्र-संयंत्र उपकरणों की स्वसत्यापित सूची भी अपलोड करना होगा। अन्यथा निविदा अमान्य कर दिया जाएगा।
- 18.10 विगत पाँच वर्षों में से किन्ही तीन वर्ष का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (Chartered Accountant) द्वारा UDIN के साथ ऑडिटेड वार्षिक टर्न ओवर (Annual Financial Statement Profit Loss Account सहित) की छाया प्रति।

19. **शपथ-पत्र**

घोषणा प्रमाण पत्र (मूल में)/ (शपथ पत्र मूल में) (अपलोड)

“मैं, अधोहस्ताक्षरी (साफ-साफ बड़े अक्षरों में नाम).....

सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्रीशपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि-

- (क) मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।
- (ख) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा Debar, Blacklisted एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अंदर किसी कार्य को विखंडित (Rescind) नहीं किया गया है।
- (ग) मेरे/हमारे कोई निकटतम संबंधी (अभिप्राय है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई /बहन तथा इसी तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य के कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/ पदाधिकारी /लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।
- (घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण पत्र कागजात विवरणी जाली एवं गलत नहीं है।

उपर्युक्त कंडिका 'क' 'ख' 'ग' एवं 'घ' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा, किसी भी स्तर पर कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा। चूँकि संवेदकों का निबंधन पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा वर्तमान में नहीं हो रहा है, इसलिए संवेदकों को बिहार PWD संहिता के आलोक में के बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के सुसंगत कंडिकाओं के तहत निबंधन करने वाले विभाग/सक्षम प्राधिकार को नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा करते हुए पशु एवं मत्स्य विभाग द्वारा आमंत्रित निविदाओं के लिए उक्त नियमावली के आलोक में तत्कालिक दण्डात्मक कार्रवाई यथा आगामी निविदाओं से वंचित (Debar) एवं विधिसम्मत अन्य कार्रवाई किया जाएगा। **यदि यह बाध्यकारी शर्त संवेदकों को मान्य हो, तभी वे निविदा में भाग लें।**

20. **चरित्र प्रमाण-पत्र**

- 20.1 चरित्र प्रमाण-पत्र की प्रति। (LOA निर्गत होने के बाद एकरारनामा के पूर्व अद्यतन वैध चरित्र प्रमाण जमा करना अनिवार्य होगा)
- 20.2 अद्यतन वैध चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक से निर्गत होना चाहिए, जिस जिले का पता निबंधन में अंकित है।
- 20.3 पार्टनरशिप एवं कम्पनी के मामले में प्राइम पार्टनर का आचरण प्रमाण पत्र आवश्यक है।

20.4 जिस संवेदक के आचरण प्रमाण पत्र में अवधि अंकित है, उस अवधि के बाद निविदा के साथ आचरण प्रमाण पत्र समर्पित करने पर आचरण प्रमाण पत्र की मान्यता नहीं दी जायेगी।

20.5 जिस संवेदक की वैध अवधि उल्लेखित नहीं है उसके आचरण प्रमाण पत्र की मान्यता निर्गत तिथि से छः माह मानी जायेगी।

21. **प्रतिशत दर निविदा**

(क) कार्य के परिमाण विपत्र की राशि से प्रतिशत के रूप में अधिक बराबर या कम दर (अंक एवं शब्दों में) अंकित किया जाय। अंक एवं शब्दों में अंकित दर में अंतर आने पर उस संवेदक का निविदा अमान्य कर दिया जा सकता है।

(ख) पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना सं० 447 (S) दिनांक 16.01.2020—सह—पठित ज्ञापक 448 (S) दिनांक—16.01.2020 के द्वारा प्रतिशत दर निविदा (In Percentage Rate Tender) पद्धति में प्राप्त की जाने वाली सभी प्रकार की निविदाओं में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा को तत्काल समाप्त कर दी गयी है। परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धृत दर वाली निविदा के लिए Additional Performance Guarantee का प्रावधान निर्गत अधिसूचना के अनुसार देना अनिवार्य होगा।

22. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

23. सक्षम प्राधिकार को बिना कोई कारण बताये निविदा के सभी/किन्ही कार्यों को या किसी कार्य के किन्ही अंश/अंशों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

24. **निविदा निष्पादन:-**

(1) यदि निविदा की कंडिका एवं उपकंडिका सं० 17 से 19 तक के अनुसार कोई भी कागजात नहीं रहेगा या अधूरा रहेगा तो उसके निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा।

(2) सफल न्यूनतम दर दाता संवेदक की निविदा आवश्यकतानुसार दर वार्ता के उपरान्त स्वीकार की जायेगी।

(3) निविदा में सफल एकाधिक संवेदकों से उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉटरी) के आधार पर चयनित संवेदक के साथ ही यदि आवश्यकता हुई तो दर प्रक्रमण (दर वार्ता) किया जायेगा एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।

25. **एकरारनामा**

(क) निविदामें सफल संवेदक को कार्य आवंटन की तिथि से 07 दिनों के अंदर लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र F2 (कंडिका-23 बिलोपित)पर एकरारनामाकर कार्य प्रारम्भ करना होगा, वशर्ते निविदाकार द्वारा निविदा में अपलोडेड कागजात एवं दस्तावेजों की सत्यता एवं प्रामाणिकता स्थापित हो एवं संदिग्ध न हो।

(ख) एकरारनामा करने के उपरान्त मासिक कार्य योजना समर्पित करना होगा।

(ग) अविलम्ब कार्य स्थल पर कार्य से संबंधित सूचनापट्ट उसकी आकार-प्रकार एवं उसमें भरे जाने वाले विवरण के संबंध में कार्य के प्रभारी अभियंता के निदेशों का पालन करना होगा।

26. **अन्य शर्तें**

(क) निविदा के निर्धारित अवधि के अंतर्गत ही कार्य को पूरा करना होगा विशेष परिस्थिति को छोड़कर अवधि विस्तार की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

(ख) प्राक्कलित राशि घट-बढ़ सकती है तथा कार्य स्थल के अनुसार निरूपण में परिवर्तन किया जा सकता है।

(ग) यह निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र के साथ निर्गत विशेष शर्तें भी एकरारनामा का अंग होगा।

27. कार्य समाप्ति की तिथि से संवेदक को उनके कार्य में त्रुटि सुधार (Defect Liability Period) की बाध्यता कार्य समाप्ति की तिथि से 24 माह (दो वर्ष) होगी तत्पश्चात् कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही उनकी जमानत की राशि विमुक्त की जायेगी।

28. E-Tendering में कार्यालय द्वारा download करने में संलग्न अभिलेख यदि अपठनीय पाया जायेगा तो निविदा अमान्य किया जा सकता है।

29. तकनीकी बीड में निविदा का उतना ही कागजात संलग्न करे जितना निविदा शर्तों की कंडिकाओं में अंकित है। निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिकाओं को पूरी तरह समझाने के लिए कार्यालय अवधि में निविदाकार **कार्यपालक अभियंता, अभियंत्रण कोषांग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, 338 विकास भवन, नया सचिवालय, पटना** से संपर्क कर सकते हैं।

